

प्राची विजय अमृता - 5
संख्या - 2242 / नक्षीक - 5 - 2013-50 सं. / 2008 वर्षी
तात्पुर्ण दिनांक 06 श्रितव्य 2013

कार्यालय—ज्ञाप

प्रदेश के ग्रामीण पेयजल योजनाओं की रवीकृति हेतु दिनांक 14.08.2013 को प्रमुख संघिय, ग्राम्य विकास, उप्रो शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य रत्नीय रवीकृति समिति की बैठक के कार्यवृत्त विषयक ग्राम्य विकास अनुभाग-5 के अशासकीय पत्र संख्या- 2190 / अड्डीस-5-2011-50सम/2008 टीसी-। दिनांक 27 अगरत, 2013 के एजेण्डा बिन्दु सं0-23 (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के रारटेनविलिटी मद के अन्तर्गत 14 जनपदों के अतिदोहित/ किटिकल/ सेमीक्रिटिकल विकास खण्डों में लघु सिंचाई विभाग द्वारा ₹0 10217.23 लाख की लागत से 278 चेकडैम बनाये जाने के प्रस्ताव) तथा एजेण्डा बिन्दु सं0-27 (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के रारटेनविलिटी मद के अन्तर्गत 08 जनपदों के अतिदोहित/ किटिकल/ सेमीक्रिटिकल विकास खण्डों में ₹००५० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा ₹0 5394.49 लाख की लागत से 96 चेकडैम बनाये जाने के प्रस्ताव) पर समिति द्वारा दी गई सैद्धान्तिक रवीकृति के प्रतिवन्ध संख्या-1 निम्नवत् उद्धृत है :-

“मुख्य सचिव रतर से निर्गत भूगर्भ जल विभाग के शासनादेश दिनांक 06 जून, 2012 के अनुसार जनपद रतर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कोर टीम द्वारा विभाग का प्रस्ताव अनुमोदित हो।”

"मुख्य सचिव रतर से निर्गत भूगर्भ जल विभाग के शासनादेश दिनांक 06 जून, 2012 के अनुसार जनपद रतर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कोर टीम द्वारा यू०पी०पी०सी०एल० का प्रस्ताव अनुमोदित हो।"

2- अवगत कराना है कि मुख्य सचिव रत्नर से लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुमान-1 का शासनादेश संख्या- 2181/62-1-2000-11 एक्यू/2000, दिनांक 02 दिसम्बर, 2004 द्वारा परियोजना/ प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति (टी०सी०सी०) गठित है।

अतः इसके दृष्टिगत दिनांक 14.08.2013 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक के कार्यवृत्त विषयक ग्राम्य विकास अनुभाग-5 के अशासकीय पत्र संख्या- 2190 / अड्डीस-5-2011-50सम/2008 टीसी-।, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के एजेण्डा विन्दु सं0-23 तथा एजेण्डा विन्दु सं0-27 के प्रतावों पर समिति द्वारा दी गई सौदान्तिक स्वीकृति के प्रतिबन्ध संख्या-1 को एतद्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

“मुख्य सविव रतर से निर्गत लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2004 के अनुसार जनपद रतर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति (टी०सी०सी०) / भूगर्भ जल विभाग के शासनादेश दिनांक 06 जून, 2012 के अनुसार जनपद रतर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कौर टीम द्वारा विभाग का प्रस्ताव अनुमोदित हो।”

“मुख्य संघिव सार से निर्गत लघु सिंचाई एवं प्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग-१ के शासनादेश दिनांक ०२ दिसम्बर, २००४ के अनुसार जनपद रत्नपुर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला रत्नीय तकनीकी समन्वय समिति (टी०सी०री०) / भगर्भ जल विभाग के

आसानारेस १०० के ०६ जून, २०१२ के अनुसार जनपद सत्र पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में
वारेता को शेष द्वारा यू०पी०पी०री०एल० का प्रस्ताव अनुमति दी गयी है।

४. तदनुसार यथा विकास अनुभाग-५ का अशासकाय पत्र संख्या- २१९०/
अडतीरा-५-२०११ ५०सम/२००८ शीरी-। दिनांक २७ अगस्त, २०१३ इस रीमा तक संशोधित
रागड़ा जायेगा।

(अरुण रिंघल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-२२४२(१) / अडतीरा-५-२०१३, तददिनांक-

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. अधिकारी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
२. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
३. श्री दिनेश चंद, एडीशनल एडवाइजर, भारत सरकार, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति विभाग,
नई दिल्ली।
४. श्री के०पी० विश्वास, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद, जल भवन, अलीगढ़, लखनऊ।
५. श्री राजीव कुमार, निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, अपर गंगा बेरिन संगठन, जहान्नी सदन,
२१/४९६ इन्दिरा नगर, लखनऊ।
६. निदेशक, भू-गर्भ जल विभाग, उ०प्र०, ७वाँ तल इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
७. श्री प्रसात सिन्हा, प्रबन्ध निदेशक, य०पी० एंग्री, अशोक मार्ग, लखनऊ।
८. श्री ए०के० सित्तल, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, ६, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
९. श्री आई०डी० पाण्डेय, महाप्रबन्धक जल संस्थान, बांदा।
१०. श्री रतन लाल, महाप्रबन्धक, जल संस्थान, झांसी।
११. श्री पी०आर० चौरसिया, मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उ०प्र०, तृतीय तल, जवाहर भवन,
लखनऊ।
१२. श्री अमित मेहरोत्रा, परियोजना अधिकारी, यूनीसेफ, १/४ विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
१३. निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, लखनऊ।
१४. डा० ए०के० निगम, प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, बुन्देलखण्ड इंस्टीट्यूट आफ
इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, झांसी।
१५. प्रोफेसर एम०एम० असहर, अध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, अलीगढ़ गुरिलम यूनिवर्सिटी,
अलीगढ़।
१६. डा० देवेन्द्र नोहन, प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, आई०आई०टी०, वी०एच०य० वाराणसी।
१७. प्रो० ए०क० सचान, प्रोफेसर एण्ड हेड़ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय
प्रोटोग्रामी संस्थान, इलाहाबाद।
१८. डा० गोविन्द पाण्डेय, एसोसिएट प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, मदन मोहन मालवीय
इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर।
१९. समस्त अधिकारी, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
२०. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।